न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 54/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. बलदेवा पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2. गणेशराम
3. भंवरलाल
4. सोहनराम
5. जयकिशन
   } पुत्रगण रूघनाथ जाति जाट निवासी ग्राम ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. डाली बेवा रूघनाथ जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
7. मोहनराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
8. झाबरमल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
9. मांगीलाल
10. ओमप्रकाश
    } पुत्रगण जवाहरलाल जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
11. झिमकू देवी पत्नि जवाहरलाल जाति जाट निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
12. हीरा पुत्र मूला जाति बलाई निवासी ढाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
13. ग्राम पंचायत गनेड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
14. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री भंवरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः–19.12.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम ढाणी रिड़मल में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा (1.55 है0) तलाई खतौनी बंदोबस्त संवत् 2010 से 2029 में सरकारी खाते में अभिलिखित है। चूंकि तत्कालीन भूप्रबन्ध के दौरान एवं उसके पूर्व से ही उक्त भूमि का उपयोग पानी भराव के रूप में होता आ रहा था। अतः इसकी किस्म जमीन तलाई दर्ज की गयी। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा मिसल नम्बर 611 दिनांक 19.06.68 में अपने निर्णय दिनांक 24.06.68 के द्वारा वर्णित ख.नं. 74 तलाई में से 5 बिस्वा (0.06है0) भूमि अप्रार्थी संख्या 7 व 8 के पिता 9 व 10 के दादा तथा अप्रार्थीया संख्या 11 के ससुर (बेगाराम पुत्र रिड़मल) के पक्ष में नियमन कर दिये जाने से राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 23 फैसल दिनांक 8.6.70 के द्वारा अंकित कर दी गई, जो उसके वारिसान अप्रार्थीगण 7 लगायत 11 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में निरन्तर चली आ रही

है। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा अपना हिस्सा बैंक के रहन रख दिये जाने से उसका हिस्सा वर्तमान रिकॉर्ड में रहन दर्ज है। वर्तमान रिकॉर्ड में वर्णित नियमन शुदा भूमि ख. नं. 74/2 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 आबादी के रूप में अभिलिखित है। वर्णित भूमि में से 05(बिस्वा (0.06है0) भूमि का नियमन तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा मिसल नम्बर 435/डी.एल./74 दिनांक 10.9.74 फैसला दिनांक 17.10.74 के निर्णय अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 बलदेव व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता तथा अप्रार्थिया संख्या 6 के पति (रूघनाथ) के पक्ष में कर दिये जाने से राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 32 फैसल दिनांक 9.2.75 के अप्रार्थी संख्या 1 बलदेव व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता तथा अप्रार्थिया संख्या 6 के पति (रूघनाथ) के नाम दर्ज हो गई, जो वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी चौसाला संवत् 2059 से 2062 में इन्ही के नाम ख.न. 74/3 रकबा 0.06 है0 गै0मु0 आबादी के रूप में अभिलिखित है। वर्णित भूमि में से 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश क्रमांक 873 दिनांक 08.04.77 के द्वारा ग्राम पंचायत गनेड़ी को आवंटित कर दिये जाने से आवंटन शुदा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 37 फैसल दिनांक 23.10.77 के ग्राम पंचायत गनेड़ी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अभिलिखित कर दी गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि ख.नं. 74/1 रकबा 1.39 है0 गै0मु0 आबादी के रूप में अभिलिखित है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा जरिये मिसल नम्बर 187–188 फैसल दिनांक 17.5.75 के 03 बिस्वा (0.04 है0) भूमि अप्रार्थी संख्या 12 (हीरा पुत्र मूला) के पक्ष में नियमन कर दिये जाने से उक्त नियमन शुदा भूमि का खाता राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण संख्या 40 फैसल दिनांक 13.12.78 के अप्रार्थी संख्या 12 के नाम दर्ज कर दी गई जो वर्तमान समय तक निरन्तर रूप से वर्तमान रिकॉर्ड जमाबन्दी चौसाला संवत् 2059 से 2062 में चली आ रही है। वर्तमान रिकॉर्ड में यह भूमि ख.नं. 74/4 रकबा 0.04 है0 गै0मु0 आबादी के रूप में अभिलिखित है। चारागाह एवं जलग्रहण व जल प्रवाह आदि प्रकार की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 में वर्णित है, जिनमें खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होने तथा ये आवंटन हेतु भी उपलब्ध नही है। वर्णित भूमि भी उक्त प्रतिबंधित भूमियों के अन्तर्गत आती है। अतः कानूनन इसका अन्तरण नही किया जा सकता था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में जल ग्रहण व जल प्रवाह की भूमियों को दिनांक 15 अगस्त 1947 की स्थिति में पूर्ववत् लाये जाने के बाध्यकारी आदेश है। अतः रेफरेन्स प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजियात के सम्बंध में तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के नियमन आदेशों एवं तत्सम्बंधी नामान्तकरण संख्या 23, 32, 37 व 40 एवं उनके द्वारा जनित पश्चातवर्ती समस्त प्रविष्टियों को निरस्त फरमाया जाकर मूल रूप से दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की और से वकील श्री भंवरलाल बिजारणिंया उपस्थित। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2010–2029 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक की किस्म तलाई दर्ज रिकार्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 23 मुताबिक रेगुलाईजेशन मि.न. 611 दिनांक 16.06.68 फैसला दिनांक 24.06.68 के द्वारा उक्त आराजियात बेगा पुत्र रिड़मल कौम जाट सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। नामांतकरण संख्या 32 मुताबिक तहसीलदार के आदेश दिनांक 17.10.74 के द्वारा रूघनाथ पुत्र रिड़मल व बलदेव पुत्र हरदेव कौम जाट सा.देह हि.ब. भूमि का प्रकार गै.मु. आबादी के रूप में तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 37 मुताबिक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश क्रमांक 873 दिनांक 08.04.77 के द्वारा ग्राम पंचायत गनेड़ी भूमि का प्रकार गै.मु.आबादी के रूप में तस्दीक कर

दिया गया। तत्पश्चात् नामांतकरण संख्या 40 मुताबिक तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 17.05.75 के द्वारा हीरा पुत्र मूना बलाई भूमि का प्रकार गुवाड़ी के रूप में तस्दीक कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2010–2019 के मुताबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक की किस्म तलाई दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। नामांतकरण संख्या 23 मुताबिक रेगुलाईजेशन मि.न. 611 दिनांक 16.06.68 फैसला दिनांक 24.06.68 के द्वारा उक्त आराजियात बेगा पुत्र रिड़मल कौम जाट सा.देह के नाम तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2010–2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात सिवायचक किस्म तलाई है, जबकि गैर मुमकीन जोहड़, नदी, नाला, तालाब का धारा 16 आरटीएक्ट से प्रतिबंधित ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ढ़ाणी रिड़मल तहसील लक्ष्मणगढ़गढ़ की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 74 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा सिवायचक किस्म तलाई में से अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी व उसके आधार पर तस्दीक नामान्तकरण संख्या 23, 32, 37 व 40 को निरस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है। मूल पत्रावली निबंधक राजस्व मण्डल राज. अजमेर को भेजी जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/19

(जयप्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर